न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,उन्नाव।

परिवाद संख्या 2691/2019

पवन कुमार–बनाम–पप्पू आदि

थाना कोतवाली जिला उन्नाव।

<u>दिनांक–25–05–2022</u>

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार पर कोई उपस्थित नही है। पत्रावली वास्ते बयान अर्न्तगत धारा 202 दं.प्र.सं. नियत है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि परिवादी विगत तिथियो से लगातार अनुपस्थित रहा है तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी परिवादी की ओर से धारा 202 दं.प्र.सं. के अर्न्तगत एक साक्षी को परीक्षित कराया है। धारा 202 दं.प्र.सं. के अर्न्तगत और किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। परिवादी के उपरोक्त आचरण से स्पष्ट है कि परिवादी को इस परिवाद के प्रचालन मे कोई रूचि शेष नही है तथा विपक्षी के विरूद्व अपना मामला चलाने हेतु उसके पास पर्याप्त साक्ष्य नही है। उपरोक्त आधार पर इस न्यायालय के मत मे यह परिवाद अर्न्तगत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद अर्न्तगत धारा–203 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विराट कुमार श्रीवास्तव)
आई.डी.यू.पी..–1728
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उन्नाव।